भारत सरकार

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 1218

उत्तर देने की तारीख : 30.07.2024

शराब की दुकान

1218. #श्री लक्ष्मीकान्त पप्पू निषाद:

क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शराब की कुल कितनी दुकानें सुबह 10 बजे से ही खुल जाती हैं;

(ख) क्या शराब पीने की कानूनी आयु वर्ग में न आने वाले छात्र स्कूल/कॉलेज के समय के दौरान शराब खरीदते हैं ओर यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार शराब की दुकानों का परिचालन बदलकर 14.00 बजे से करने पर विचार कर रही है ताकि उपर्युक्त आयु वर्ग के छात्रों को इन दुकानों तक पहुंचने को हतोत्साहित किया जा सके; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा ऐसे छात्रों को शराब की दुकानों से शराब खरीदने को हतोत्साहित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री

(श्री बी.एल. वर्मा)

(क): राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के आबाकारी, मनोरंजन एवं विलासिता कर आयुक्त कार्यालय द्वारा प्रदान की गई सूचना के अनुसार, दिनांक 25.07.2024 की स्थिति के अनुसार, कुल 758 खुदरा शराब की दुकानें सुबह 10:00 बजे से रात 10:00 बजे तक चलती हैं।

(ख): दिल्ली आबकारी अधिनियम, 2009 की धारा 23 के अनुसार "कोई भी व्यक्ति या लाइसेंसधारी विक्रेता या उसका कर्मचारी या एजेंट 25 साल से कम आयु के किसी व्यक्ति को शराब की बिक्री या आपूर्ति नहीं करेगा भले ही यह उसके स्वयं के उपयोग के लिए हो या किसी अन्य के उपयोग के लिए।"

(ग) और (घ): राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार, ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। जब कभी शिकायत प्राप्त होती है, दिल्ली उत्पाद आबकारी अधिनियम, 2009 और नियमावली, 2010 के अनुसार कार्रवाई की जाती है।

*****